न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही

(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. गणेश लाल रावल पुत्र बाबूलाल रावल, जाति- रावल
   निवासी- कोजरा चौराहा, चवरली, तहसील-पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
   (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्म:- होटल जय बाबा रामदेव, कोजरा चौराहा, चवरली, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

2. गोपी किशन पुत्र श्री देवाराम, निवासी- इन्द्रा कॉलोनी, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
   (खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्म:- भारत कोम्पिटिशन, आमली रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

3. राजेश डागा पुत्र श्री हनुमान प्रसाद डागा, देव कुन्नी, दामोदर कॉलोनी, नागौरी गेट, जोधपुर (राज.)
   (एफ.बी.ओ. एवं भागीदार)

फर्म: श्री स्पाईस, H-1/ 200, मण्डोर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर (राज.)

4. हनुमान प्रसाद पुत्र रेनीलाल डागा, देव कुन्नी,दामोदर कॉलोनी, नागौरी गेट, जोधपुर
   (एफ.बी.ओ. एवं भागीदार)

फर्म: श्री स्पाईस, H-1/ 200, मण्डोर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर

प्रकरण संख्या: 29/2020

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थिति:

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी

-: निर्णय :- दिनांक 13 जुलाई, 2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.2.2020 को होटल जय बाबा रामदेव, कोजरा चौराहा, चवरली, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर पँहुचा। विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया तथा परिचय लिया। परिचय लेने पर मालूम हुआ कि वह व्यक्ति गणेश लाल रावल पुत्र बाबूलाल रावल, जाति- रावल, निवासी- कोजरा चौराहा, चवरली, तहसील-पिण्डवाडा, जिला-सिरोही है, जो होटल जय बाबा रामदेव पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से मौजूद है एवं आम जनता को रेड चिल्ली पाउडर (मारवाड ...) की सब्जी बनाकर बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने के दौरान आम जनता के उपयोग आने

.....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:34 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

वाले खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली पाउडर (मारवाड ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं होटल के अन्दर अलमारी की रैक में मौजूद रेड चिल्ली पाउडर (मारवाड ब्राण्ड) के 40 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक एक किलोग्राम) में से रेड चिल्ली पाउडर (मारवाड ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक एक किलोग्राम) खरीदे एवं जिसकी कीमत 520/- रुपये अदा की एवं खरीद रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैंने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या-5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना खरीद रसीद, मूल फार्म नं. 5ए, सप्लाई बिल न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल पर कोड एवं सीरीयल नं., दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीद शुदा खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली पाउडर (मारवाड ब्राण्ड) के चारों नमूना पाउचेज पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1119 को नियमानुसार नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं मैंने भी अपने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्ता गणेश लाल रावल ने पढ़कर सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। मूल मौका फर्द रिपोर्ट संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुचकर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक-एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया तथा मजबूत धागे से बांधकर सील चपडी किया तथा फार्म नं. 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 24.2.2020 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं.6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री महेन्द्र कुमार, स्वीपर के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 20.2.2020 को ही शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को मैंने स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली पाउडर (मारवाड ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:34 IST
Reason: SelfAttested

प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता गणेश लाल रावल से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली पाउडर (मारवाड ब्राण्ड) का नमूना S-1119 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। खाद्य कारोबारकर्ता गणेश लाल रावल एवं निर्माता फर्म को जांच रिपोर्ट की एक प्रति भिजवाई एवं जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुन: जांच का आवेदन फार्म नं. 8 में रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया, लेकिन पुन: जांच हेतु आवेदन प्राप्त नही हुआ। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थान आदेश, एरिया नोटिफिकेशन एवं अनुसंधान में प्राप्त दस्तावेजों के साथ अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर प्रतिवादीगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली पाउडर (मारवाड ब्राण्ड) का निर्माण एवं विक्रय करने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य उपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली पाउडर (मारवाड ब्राण्ड) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अत: प्रतिवादीगण को जुर्माने से दण्डित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान सुनवाई तिथि 15.9.2020, 14.10.2020 व 15.12.2020 को प्रतिवादी संख्या-1 व 2 इस न्यायालय में उपस्थित हुये, उसके बाद प्रतिवादी संख्या- 1 व 2 उपस्थित नही हुये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-, 3 व 4 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी संख्या- 3 व 4 को इस न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशी से भी सूचित किया गया, लेकिन प्रतिवादी संख्या- 3 व 4 इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये एवं न ही प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने कोई लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या- 2 ने भी कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नही किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या-1 (गणेश लाल रावल) ने सुनवाई तिथि दिनांक 15.12.2020 को जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-3 व 4 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी नियत सुनवाई तिथि पर उपस्थित नही होने व कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण तथा प्रतिवादी संख्या-2 को भी जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया जाने के बावजूद भी नियत सुनवाई तिथि पर उपस्थित नही होने व जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत दिनांक 13.7.2[illegible] आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी इस न्यायालय में उपस्थित हुये। [illegible] गई [illegible] के दौरान आवेदक खाद्य

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:34 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

सिरोही (राज.)

सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली पाउडर (मारवाड ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। अतः प्रतिवादीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 20.2.2020 को 2.15 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु होटल जय बाबा रामदेव, कोजरा चौराया, चवरली, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर गये। वहां पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से गणेश लाल रावल पुत्र बाबूलाल रावल, जाति- रावल, निवासी- कोजरा चौराया, चवरली, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को रेड चिल्ली पाउडर (मारवार ब्राण्ड) से सब्जी बनाकर बचाकर बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली पाउडर (मारवार ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री विशालसिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष विक्रेता गणेश लाल रावल को खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 20011 के नियम 2.4.1(3) के तहत प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी व प्रपत्र 5ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने होटल के अन्दर आलमारी की रैक में रखे हुए खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली पाउडर (मारवार ब्राण्ड) के 40 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक एक किलोग्राम) में से खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली पाउडर (मारवार ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक एक किलोग्राम) क्रय किये एवं उसकी कीमत राशि रुपये 520/- (अक्षरे रुपये पांच सौ बीस मात्र) अदा कर क्रय करने की रसीद तैयार कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता गणेश लाल रावल व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-1119, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता गणेश लाल रावल व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा रेड् चिल्ली पाउडर (मारवार ब्राण्ड) के चारों नमूना पैक्ड पाउचेज पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1119 को नियमानुसार गोंद से चिपका कर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता गणेश लाल

.....पेज. पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:34 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही-307001.

रावल व गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूनों भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता गणेश लाल रावल व उक्त गवाह तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय की रसीद बिल एवं मौका फर्द आदि के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने होटल जय बाबा रामदेव, कोजरा चौराया, चवरली, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता गणेश लाल रावल से **खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली पाउडर (मारवार ब्राण्ड) को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा** अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पँहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों पैक पैकेटो के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया एवं फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग से बंद कर सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 24.2.2020 को नमूने का एक भाग व फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री महेन्द्र कुमार, स्वीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को विश्लेषण जांच हेतु जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 20.2.2020 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली पाउडर (मारवार ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1119 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./159/Act/2020/159 दिनांक 05.3.2020 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म होटल जय बाबा रामदेव, कोजरा चौराया, चवरली, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता गणेश लाल रावल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली पाउडर (मारवार ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (अभिहित अधिकारी) के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2020/150-53 दिनांक 12.3.2020 से प्रतिवादी गणेश लाल रावल एवं निर्माता फर्म Shree Spices, Mandore Industrial Area, Jodhpur (Raj.) को प्रेषित कर जांच रिपोर्ट से असहमति की स्थिति में अपील आवेदन प्रारुप-8 में 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, लेकिन संबंधित ने अपील आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट

....पेज छः पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

है कि प्रतिवादी गणेश लाल रावल की फर्म होटल जय बाबा रामदेव, एन.एच.27 कांजरा चौराया ने बिल/इनवांइस नम्बर GST-1870 दिनांक 19.2.2020 से उक्त खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली पाउडर के एक-एक किलो के पैक्ड पाउचेज को भारत कोम्पीटीशन, पिण्डवाडा से क्रय किये थे, जो कि प्रतिवादी संख्या- 2 (गोपी किशन) की फर्म है। प्रतिवादी संख्या- 2 (गोपी किशन) की फर्म भारत कोम्पीटीशन, पिण्डवाडा ने रेड चिल्ली पाउडर (मारवार ब्राण्ड) के एक-एक किलोग्राम के पैक्ड पाउचेज को फर्म Shree Spices, H-1/200, मण्डोर इण्डस्ट्रील एरिया, जोधपुर से बिल/इनवोईस नम्बर 4327 दिनांक 28.1.2020 के द्वारा क्रय किये गये थे, जो कि रेड चिल्ली पाउडर (मारवार ब्राण्ड) की निर्माता फर्म है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि निर्माता फर्म Shree Spices, H-1/200, मण्डोर इण्डस्ट्रील एरिया, जोधपुर द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली पाउडर (मारवार ब्रांण्ड) का निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय किया गया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन है एवं इस अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दोष मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-52 के तहत खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली पाउडर (मारवार ब्राण्ड) की निर्माता फर्म Shree Spices, H-1/200, मण्डोर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर (राज.) पर राशि रुपये 50,000/- (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। निर्माता फर्म Shree Spices, H-1/200, मण्डोर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर पर आरोपित जुर्माना राशि जमा कराने हेतु निर्माता Shree Spices, H-1/200, मण्डोर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर (राज.) के भागीदार राजेश डागा पुत्र श्री हनुमान प्रसाद डागा, देव कुन्नी, दामोदर कॉलोनी, नागौरी गेट, जोधपुर व श्री हनुमान प्रसाद डागा पुत्र श्री बेचीलाल डागा, देव कुन्नी, दामोदर कॉलोनी, नागौरी गेट, जोधपुर (प्रतिवादी संख्या 3 व 4) उत्तरदायी होंगे। निर्माता फर्म Shree Spices, H-1/200, मण्डोर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर (राज.) के भागीदार राजेश डागा एवं हनुमान प्रसाद (प्रतिवादी संख्या 3 व 4) को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म Malvis Food Products पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

13/7/2021

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:34 IST
Reason: SelfAttested